राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप 2(30)नविवि/3/2016 पार्ट जयपुर,दिनांकः 22 AUG 2017

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए अथवा धारा 90बी के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् प्रीमियम राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया जाता है। धारा 90ए के प्रकरणों में मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 90 दिवस में बिना ब्याज के राशि जमा कराये जाने का प्रावधान है। 90 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आगामी 6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकती है।

उपरोक्त राशि पर ब्याज से छूट दिये जाने के ज्ञापन इस विभाग में प्राप्त हुये है, जिन पर मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना–2017 के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा विचार कर नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ प्राप्त प्रकरणों में (धारा 90ए तथा 90बी के तहत) नियमन/प्रीमियम/अन्य प्रभार की राशि विलम्ब से जमा कराये जाने वाली राशि पर ब्याज में निम्नानुसार छूट दिये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. उपरोक्त मदों में विलम्ब से जमा करायी जाने वाली राशि पर देय ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जावेगी, बशर्ते मांगपत्र के अनुसार सम्पूर्ण राशि एकमुश्त इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में जमा करा दी जावें।
2. उपरोक्तानुसार तीन माह की अवधि के पश्चात् आगामी तीन माह तक सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में 25 प्रतिशत छूट देय होगी।

इस प्रकार ब्याज में छूट यह आदेश जारी होने के 6 माह तक ही प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

22/8/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरेक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्वायत्त विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

22/8/17

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम